

संपत्ति अवमूल्यन प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 2018 दिनांक 18
 चैंकि श्री Mr. Subish Khan 8206

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवमूल्यों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवमूल्यों के बारे में वही मैं और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2018 से ता० will dated

तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमूल्यों का पता चला है अतः

अवमूल्यन

क्र०सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ग	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	may 38 - Sabjibagh P. J. Pirbakhore P. S. 133 Jamzimar 349 Plot 283 Ward 8 Sheet 63 Holdings 04 Circle 16 Area 4.5 Hkts.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बर्तन को उसके खर में उल्लेख है।
3. पट्टे की दिशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लपान दर्ज करें।
 मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

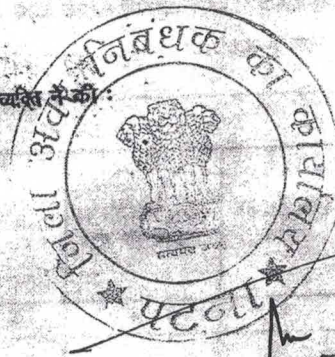
तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:



मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो देसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (वाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियों देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर वाहयों और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक B253

दिनांक 18-9-18

ज्ञाप संख्या

आवेदक श्री

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा

md. Edrith Khan

manager

S-B-2 RACAC Branch

pathe.

का जनक पत्र संख्या

दिनांक 12/9/18

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

mm

निबंधन पदाधिकारी

18-9-18

pathe.